



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

विकास भवन (चतुर्थ तल), जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

क. 01 /MGNREGS-MP/NR-1/F-217A/2024

भोपाल, दिनांक 01/04/2024

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक(महात्मा गांधी नरेगा),
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत श्रमिकों को प्रदाय अकुशल मजदूरी दर में संशोधन बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1481, नई दिल्ली, 27 मार्च 2024

विषयांतर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1481, नई दिल्ली, 27 मार्च 2024 अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत अकुशल श्रमिकों को प्रदाय मजदूरी दर में संशोधन किया गया है। उक्त अधिसूचना अनुसार मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत अकुशल हस्त कर्मकारों की प्रतिदिन मजदूरी की दर 243/- रुपये निर्धारित की गई है। यह मजदूरी दर दिनांक 1 अप्रैल 2024 से प्रभावशील होगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(एस. कृष्ण चैतन्य IAS)

आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

भोपाल, दिनांक 01/04/2024

पृ.क्र. 02 /MGNREGS-MP/NR-1/2024

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. संयुक्त सचिव (महात्मा गांधी नरेगा), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. संभागीय आयुक्त, समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. संयुक्त आयुक्त वित्त एवं लेखा, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद